संख्या-35/2021/1372/58-1-21-2/3(6)13टी.सी.

प्रेषक,

महावीर प्रसाद गौतम,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार,
उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग लखनऊ : दिनांक 02 अगस्त, 2021

विषय: वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए पोषण अभियान हेतु अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत ग्रोथ मानीटरिंग डिवाइसेज जेम पोर्टल से क्रय किये जाने हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-79-80/बा0वि0परि0/लेखा/2021-22, दिनांक 11 मई, 2021 के माध्यम से निदेशक, राज्य पोषण मिशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या-सी-10/ रा0पो0मि0/ जी0एम0डी0/ 2021-22, दिनांक 26 अप्रैल, 2021 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के 75 जनपदों की कुल 897 बाल विकास परियोजनाओं के अन्तर्गत कुल 188219 आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु 02 प्रकार के ग्रोथ मानीटरिंग उपकरणों यथा- 187919 इन्फैन्टोमीटर तथा 140233 मदर एण्ड चाइल्ड वेईंग स्केल (मां एवं बच्चे की वजन मशीन) का पृथक-पृथक बिड के माध्यम से जेम पोर्टल से क्रय किये जाने हेतु रू0 49.67 करोड़ (रूपये उनचास करोड़ सड़सठ लाख मात्र) के अनुमानित व्यय की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष प्रदान करती हैं :-

(1) उक्त क्रय भारत सरकार द्वारा निर्गत शर्तों एवं प्रतिबन्धों, दिशा-निर्देशों एवं स्पेसिफिकेशन इत्यादि तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार जेम पोर्टल से किया जायेगा।

(2) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-1/2015/403/18-2-15-125(ल0 उ0)/2014, दिनांक 22 मई, 2015 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

(3) इस सम्बन्ध में निर्गत वित्तीय स्वीकृति सम्बन्धी शासनादेश में अंकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) योजना के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रियानुसार क्रय की गयी सामग्री की गुणवत्ता की पुष्टि सुनिश्चित करने के उपरान्त भलीभांति सत्यापित बिलों के सापेक्ष उक्त स्वीकृति की सीमा में नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।

(5) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(6) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

(7) धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते आदि में नहीं रखा जायेगा।

(8) वस्तुओं/उपकरणों के क्रय के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(9) उक्त सामग्री के क्रय पर हुए व्यय के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस- 16/94, दिनांक 06 जून,1994, कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-16/94, दिनांक 24 मार्च, 2020, शासनादेश संख्या-5/2020/बी-1-196/दस-2020-231/2020, दिनांक 11 अप्रैल, 2020, शासनादेश संख्या-6/2020/बी-1-218/दस-2020-231/2020, दिनांक 18 मई, 2020, शासनादेश संख्या-7/2020-बी-1-306/दस-2020-231/2020, दिनांक 17 जून, 2020 तथा शासनादेश संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

2- वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइसेज क्रय हेतु शासनादेश संख्या-13/2020।1763/58-1-20-2/3(6)13टीसी, दिनांक 24 जुलाई, 2020 द्वारा रू0 98.79 की निर्गत वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति के सापेक्ष कुल रू0 14,53,49,243.00 व्यय हुआ है तथा रू0 84,25,91,057.00 की धनराशि राजकोष को समर्पित की गयी है।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0130-नेशनल न्यूट्रीशन मिशन कार्यक्रम (के.80/रा.20-के.+रा.) के मानक मद-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-4-371 /दस/2021, दिनांक 16 जुलाई, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(महावीर प्रसाद गौतम)
संयुक्त सचिव।

संख्या-35/2021/1372/58-1-21-2/3(6)13 टी.सी. तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट)प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)प्रथम/द्वितीय,उ0प्र0, प्रयागराज।
3- निदेशक, राज्य पोषण मिशन, लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-4/वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1
6- आहरण एवं वितरण अधिकारी, निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0।
7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(महावीर प्रसाद गौतम)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-35/2021/1372/58-1-21-2/3(6)13टी.सी.

प्रेषक,

महावीर प्रसाद गौतम,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार,
उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग लखनऊ : दिनांक 02 अगस्त, 2021

विषय: वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए पोषण अभियान हेतु अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत ग्रोथ मानीटरिंग डिवाइसेज जेम पोर्टल से क्रय किये जाने हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-79-80/बा0वि0परि0/लेखा/2021-22, दिनांक 11 मई, 2021 के माध्यम से निदेशक, राज्य पोषण मिशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या-सी-10/ रा0पो0मि0/ जी0एम0डी0/ 2021-22, दिनांक 26 अप्रैल, 2021 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के 75 जनपदों की कुल 897 बाल विकास परियोजनाओं के अन्तर्गत कुल 188219 आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु 02 प्रकार के ग्रोथ मानीटरिंग उपकरणों यथा- 187919 इन्फैन्टोमीटर तथा 140233 मदर एण्ड चाइल्ड वेईंग स्केल (मां एवं बच्चे की वजन मशीन) का पृथक-पृथक बिड के माध्यम से जेम पोर्टल से क्रय किये जाने हेतु रू0 49.67 करोड़ (रूपये उनचास करोड़ सड़सठ लाख मात्र) के अनुमानित व्यय की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष प्रदान करती हैं :-

(1) उक्त क्रय भारत सरकार द्वारा निर्गत शर्तों एवं प्रतिबन्धों, दिशा-निर्देशों एवं स्पेसिफिकेशन इत्यादि तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार जेम पोर्टल से किया जायेगा।

(2) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-1/2015/403/18-2-15-125(ल0 उ0)/2014, दिनांक 22 मई, 2015 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

(3) इस सम्बन्ध में निर्गत वित्तीय स्वीकृति सम्बन्धी शासनादेश में अंकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) योजना के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रियानुसार क्रय की गयी सामग्री की गुणवत्ता की पुष्टि सुनिश्चित करने के उपरान्त भलीभांति सत्यापित बिलों के सापेक्ष उक्त स्वीकृति की सीमा में नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।

(5) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(6) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

(7) धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते आदि में नहीं रखा जायेगा।

(8) वस्तुओं/उपकरणों के क्रय के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(9) उक्त सामग्री के क्रय पर हुए व्यय के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस- 16/94, दिनांक 06 जून,1994, कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-16/94, दिनांक 24 मार्च, 2020, शासनादेश संख्या-5/2020/बी-1-196/दस-2020-231/2020, दिनांक 11 अप्रैल, 2020, शासनादेश संख्या-6/2020/बी-1-218/दस-2020-231/2020, दिनांक 18 मई, 2020, शासनादेश संख्या-7/2020-बी-1-306/दस-2020-231/2020, दिनांक 17 जून, 2020 तथा शासनादेश संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

2- वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइसेज क्रय हेतु शासनादेश संख्या-13/2020।1763/58-1-20-2/3(6)13टीसी, दिनांक 24 जुलाई, 2020 द्वारा रू0 98.79 की निर्गत वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति के सापेक्ष कुल रू0 14,53,49,243.00 व्यय हुआ है तथा रू0 84,25,91,057.00 की धनराशि राजकोष को समर्पित की गयी है।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0130-नेशनल न्यूट्रीशन मिशन कार्यक्रम (के.80/रा.20-के.+रा.) के मानक मद-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-4-371 /दस/2021, दिनांक 16 जुलाई, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(महावीर प्रसाद गौतम)
संयुक्त सचिव।

संख्या-35/2021/1372/58-1-21-2/3(6)13 टी.सी. तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट)प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)प्रथम/द्वितीय,उ0प्र0, प्रयागराज।
3- निदेशक, राज्य पोषण मिशन, लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-4/वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1
6- आहरण एवं वितरण अधिकारी, निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0।
7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(महावीर प्रसाद गौतम)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-35/2021/1372/58-1-21-2/3(6)13टी.सी.

प्रेषक,

महावीर प्रसाद गौतम,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार,
उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग लखनऊ : दिनांक 02 अगस्त, 2021

विषय: वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए पोषण अभियान हेतु अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत ग्रोथ मानीटरिंग डिवाइसेज जेम पोर्टल से क्रय किये जाने हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-79-80/बा0वि0परि0/लेखा/2021-22, दिनांक 11 मई, 2021 के माध्यम से निदेशक, राज्य पोषण मिशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या-सी-10/ रा0पो0मि0/ जी0एम0डी0/ 2021-22, दिनांक 26 अप्रैल, 2021 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के 75 जनपदों की कुल 897 बाल विकास परियोजनाओं के अन्तर्गत कुल 188219 आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु 02 प्रकार के ग्रोथ मानीटरिंग उपकरणों यथा- 187919 इन्फैन्टोमीटर तथा 140233 मदर एण्ड चाइल्ड वेईंग स्केल (मां एवं बच्चे की वजन मशीन) का पृथक-पृथक बिड के माध्यम से जेम पोर्टल से क्रय किये जाने हेतु रू0 49.67 करोड़ (रूपये उनचास करोड़ सड़सठ लाख मात्र) के अनुमानित व्यय की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष प्रदान करती हैं :-

(1) उक्त क्रय भारत सरकार द्वारा निर्गत शर्तों एवं प्रतिबन्धों, दिशा-निर्देशों एवं स्पेसिफिकेशन इत्यादि तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार जेम पोर्टल से किया जायेगा।

(2) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-1/2015/403/18-2-15-125(ल0 उ0)/2014, दिनांक 22 मई, 2015 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

(3) इस सम्बन्ध में निर्गत वित्तीय स्वीकृति सम्बन्धी शासनादेश में अंकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) योजना के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रियानुसार क्रय की गयी सामग्री की गुणवत्ता की पुष्टि सुनिश्चित करने के उपरान्त भलीभांति सत्यापित बिलों के सापेक्ष उक्त स्वीकृति की सीमा में नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।

(5) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(6) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

(7) धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते आदि में नहीं रखा जायेगा।

(8) वस्तुओं/उपकरणों के क्रय के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(9) उक्त सामग्री के क्रय पर हुए व्यय के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस- 16/94, दिनांक 06 जून,1994, कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-16/94, दिनांक 24 मार्च, 2020, शासनादेश संख्या-5/2020/बी-1-196/दस-2020-231/2020, दिनांक 11 अप्रैल, 2020, शासनादेश संख्या-6/2020/बी-1-218/दस-2020-231/2020, दिनांक 18 मई, 2020, शासनादेश संख्या-7/2020-बी-1-306/दस-2020-231/2020, दिनांक 17 जून, 2020 तथा शासनादेश संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

2- वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइसेज क्रय हेतु शासनादेश संख्या-13/2020।1763/58-1-20-2/3(6)13टीसी, दिनांक 24 जुलाई, 2020 द्वारा रू0 98.79 की निर्गत वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति के सापेक्ष कुल रू0 14,53,49,243.00 व्यय हुआ है तथा रू0 84,25,91,057.00 की धनराशि राजकोष को समर्पित की गयी है।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0130-नेशनल न्यूट्रीशन मिशन कार्यक्रम (के.80/रा.20-के.+रा.) के मानक मद-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-4-371 /दस/2021, दिनांक 16 जुलाई, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(महावीर प्रसाद गौतम)
संयुक्त सचिव।

संख्या-35/2021/1372/58-1-21-2/3(6)13 टी.सी. तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट)प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)प्रथम/द्वितीय,उ0प्र0, प्रयागराज।
3- निदेशक, राज्य पोषण मिशन, लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-4/वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1
6- आहरण एवं वितरण अधिकारी, निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0।
7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(महावीर प्रसाद गौतम)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in